(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबंध में अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस उपाए किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य तथा उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

		1997 तक के लक्ष्य	उपब्धियां (आंकड़ों के स्रोत तदा वर्ष)
1.	अशोधित जन्म दर	26.0	28.3 (एसआरएस, 1995)
2.	शिशु मृत्यु दर	70	74 (एसआरएस, 1995)
3.	दम्पति सुरक्षा दर	55%	46.5% (कार्यक्रम डाटा, 1995)

(ग) इस संबंध में किए गए उपाय अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैं:

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर से विकेन्द्रीकृत सहभागीदारी आयोजन की एक प्रणाली, जिसमें सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा रोगी की संतुष्टि पर मुख्य बल दिया जाता है, बनाई जाएगी।

(ii) समुदाय पुरस्कार योजना के अंतर्गत, प्रत्येक जिले में एक गांव (500 से अधिक की आबादी वाला) को जन्म दर तथा शिशु एवं बाल मृत्यु दर कम रखने के लिए 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

(iii) बच्चे के जीवित रहने तथा बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नियमित टीकाकरण के अलावा लोगों की व्यापक भागीदारी के माध्यम से पल्स पोलियो तथा स्कूल स्वास्थ्य जांच करना।

निवेशकों द्वारा कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

443. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेशकों द्वारा कतिपय प्रमुख कम्पनियों विशेषकर कतिपय बड़े औद्योगिक समूहों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की शिकायतें बड़ी तादाद में प्राप्त हुई हैं या हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है; और

(ग) निवेशकों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कारगर उपाए करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1991 के द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अध्याय-III के भाग क को दिनांक 27.9.91 से हटाए जाने के परिणामस्वरूप, बड़े औद्योगिक घरानों को अब केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकृत कराना अपेक्षित नहीं है। अतः बड़े औद्योगिक घरानों के विरुद्ध शिकायतों से सम्बन्धित आंकड़ों को अलग से एकत्र नहीं किया जाता है।

कम्पनी कार्य विभाग और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में सभी प्रकार की कम्पनियों के विरुद्ध अनेक प्रकार के निवेशकों की शिकायतें प्राप्त होती हैं। अभी विगत में, कम्पनी कार्य विभाग और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या से सामान्यतः गिरावट की प्रवृत्ति का पता चलता है।

कम्पनी कार्य विभाग में इन शिकायतों पर कार्यवाही पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत निवेशक संरक्षण सेल के जरिए की जाती है और निवारण के लिए इन्हें संबंधित कम्पनियों को भेजा जाता है। कम्पनियों द्वारा की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ताओं को भी सूचित किया जाता है। दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत समय-समय पर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाती है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अपने निवेशक शिकायत एवं मार्गदर्शन प्रभाग के जरिए शिकायतों के निवारण के लिए उपाय करता है। शिकायतों के समाधान के लिए कम्पनियों की तरफ से

अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अभियोजन शक्तियां प्रदत्त की गई हैं और इसने कुछ कम्पनियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाहियां शुरू कर दी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कम्पनी और इसकी समूह की कम्पनियों की निवेशकों की शिकायतों के बारे में कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण भी करता है जब वे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास विवरणिका की जांच करवाने के लिए जाते हैं।

Settlement Commission in CBEC

444. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the proposal for setting up of a Settlement Commission in C.B.E.C. for the expeditious settlement of excise disputes cases on the lines of Settlement Commission functioning in C.B.D.T. which was mooted in 1992, is still pending;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) by when it is proposed to be set-up?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The proposal is still under examination in consultation with the Ministry of Law.

Forecast about Indian Economy by IMF

445. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the International Monetary Fund had, in its World Economic Outlook released in September last, made a gloomy forecast for India's economy, particularly in the later part of the year, due to infrastructural bottlenecks and high real interest rates;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the corrective steps taken or proposed to be taken by the Government in this regards?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes Sir,

(b) and (c) Government is taking a number of steps to reduce—

(a) fiscal deficit

(b) remove infrastructural bottlenecks; and

(c) to control prices.

Government has taken a number of measures in the last few years and particularly in the current year to increase buoyancy in revenues and to control expenditure. At the end of the current fiscal year, Government expects to contain fiscal deficit to 5 percent of GDP as against 5.9 percent in 1995-96. To remove bottlenecks in the infrastructure area, private investment both domestic and foreign have been encouraged in the power, oil, ports, airports and highways sector. Recently Chief Ministers of States have met and considered ways and means of improving the power sector.

Foreign equity in Domestic Airlines

446. SHRIMATI MALTI SHARMA: SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether any proposal is under Government's consideration not to allow foreign equity in domestic airlines;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government are aware that most of the countries of the world allow such equities?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) to (c) A proposal to review the policy on domestic air transport services is under consideration of the Government.